

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

912/13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० 912

तारीख 2.8.13 से 13.8.13 तक

जिला पटना

अनुमण्डल- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार

दाखिल -

बाढ़

एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
2-8-13	<p>श्री/श्रीमति <u>विनीत चौधरी</u> पिता/पति <u>रामउग्र चौधरी</u> ग्राम <u>बहरोका</u> थाना <u>बाढ़</u> जिला पटना अंचल बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशनामा बंटवारा/विनिमय/सत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे। अभिलेख दिनांक <u>6-8-13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p>जमीन का विवरण ग्राम/थाना नं० <u>बहरोका</u> खाता नं० <u>93</u> खेसरा <u>555, 556</u> रकबा <u>17 3/4</u> आ</p>	अंचल अधिकारी बाढ़

6-8-13

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन
अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वख्शीसनामा
बैटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
गहाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12-8-19
को उपस्थापित करें।

2/8/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

12-8-19

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 13-8-19
को उपस्थापित करें।

2/8/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

13-8-19

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

2/8/13
अंचल अधिकारी
बाढ़